# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## आर्म्स अपील संख्याः 02/2024
## दायर दिनांकः 02.04.2024
## निर्णय दिनांक 25.07.2025

**–: अनवान :–**

श्री धीरज कुमार पिता शंकरलाल जी जाति सरगरा उम्र 52 वर्ष, पेशा खेती निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद **– अपीलान्ट**

**:: बनाम ::**

1. श्रीमान् लोक अभियोजक महोदय, राजस्थान राज्य, जिला राजसमंद
2. श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट साहब, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

**– रेस्पोडेन्टगण**

**आर्म्स अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.02.2024 द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेट पीठासीन अधिकारी रक्षा पारीक द्वारा बन्दुक लाईसेंस संख्या 2/10 (एक नाल देशी टोपीदार) लाईसेंस धारक शंकरलाल पिता उदयराम सरगडा निवासी आमेट के प्रकरण मे पारीत आदेश से व्यथित होकर**

**उपस्थितः–**

1– श्री आर0 एल0 रावत अधिवक्ता अपीलान्ट

2– श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।

2– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा बन्दुक लाईसेंस संख्या 02/10 पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता शंकरलाल पिता उदयराम जी जाति सरगडा निवासी आमेट के नाम पर बन्दुक लाईसेंस संख्या 2/10 (एक नाल देशी टोपीदार) थी प्रार्थी के पिता शंकरलाल जी की मृत्यु दिनांक 07.10.2021 को हो गई. उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट ने उक्त लाईसेंस को अपने नाम पर विरासत से दर्ज कराने हेतु आवेदन दिनांक 26.04.2023 को प्रस्तुत किया, जिसके संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने निम्नानुसार जांच रिपोर्ट के संदर्भ में लाईसेंस जारी करने के संबंध उप पुलिस अधीक्षक महोदय कुम्भलगढ मुकाम गोमती, तहसीलदार साहब आमेट, उप वन सरंक्षक, वन्य जीव राजसमंद व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सी. आई.डी.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजस्थान जयपुर को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया, उक्त विभागो की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार प्राप्त हुई। (क) तहसीलदार आमेट पत्रांक 1132 दिनांक 12.12.2022 अनुसार आवेदक की आर्थिक स्थिति, आचरण व उद्देश्य उचित है तथा आवेदक आरक्षित वन क्षेत्र की 10 कि.मी. परिधि का निवासी है एवं अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित वर्णन किया गया है। (ख) वन विभाग राजसमंद उप वन संरक्षक के पत्रांक 2827 दिनांक 22.03. 2023 द्वारा कोई आपत्ति नही होना वर्णित है। (ग) पुलिस उपाधिक्षक वृत कुम्भलगढ मु. गोमती पत्रांक 47 दिनांक 10.01. 2023 द्वारा आवेदक को लाईसेंस देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, वर्णित है। (घ) राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर पत्रांक 485 दिनांक 20.03.2023 जो श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक 25.07.2023 को प्राप्त हुआ अनुसार आवेदन का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नही होना वर्णित है। अतः उपरोक्त चारों विभागो द्वारा आवेदक के विरासत से टोपीदार लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा करने के आधार पर आर्म्स रूल्स 2016 नियमों के परिपेक्ष्य में लाईसेंस जारी किया जाना उचित है। विरासत द्वारा लाईसेंस जारी करने हेतु नियमो के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा चालान से विरासत से दर्ज करने की फीस 1000/– रूपये पांच वर्ष हेतु नवीनीकरण शुल्क 2500/– रूपये व डायरी शुल्क 100/– रूपये कुल राशि 3600/– रूपये चालान से बैंक में जमा करा रसीद की एक प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को सूचित करने हेतु व प्रार्थी को लाईसेंस जारी किये जाने बाबत् पत्रावली आदेशार्थ श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है। श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय 'प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज संलंग्न नहीं किया है, जिससे उसे बन्दूक की कृषि कार्य मे आवश्यकत है, ऐसा सिद्ध हो। अतः लाईसेंस जारी नही किया जाना उचित है।' उक्त आदेश से व्यथित होकर इन आधारो पर यह अपील पेश की जा रही है कि अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश कानून, विधि एवं सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा अपने पिता की मृत्यु दिनांक 07.10.2021 को होने के पश्चात् विरासत से हथियार नम्बर 2/10 आर्म्स को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु विधि सम्यक प्रक्रिया अपना कर सभी दस्तावेज पेश कर आवेदन प्रस्तुत किया था, एवं आवेदन के बाद विधि अनुरूप सभी विभागो से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार हथियार विरासत से अपीलान्ट के नाम पर दर्ज होना उचित प्रतीत होने के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो नोटशीट कार्यालय की दर्शित की गई थी उसमे हथियार लाईसेंस को विरासत से अपीलान्ट के नाम पर विधि सम्मत अनुशंषा प्रकट होती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में भारी भूल कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि सम्मत जिन जिन कार्यालयो से जो रिपोर्ट मांगी गई थी उसमे किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध नही है, साथ ही मृतक शंकरलाल के सभी वारिसानो ने मिलकर अपीलान्ट के नाम पर सहमति पत्र भी दिया है, उसके बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र आलोच्य आदेश की पत्रावली पर कृषि कार्य संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का कारण बताते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है, जब कि पत्रावली मे आवेदन के साथ अपीलान्ट ने वर्तमान जमाबंदी पेश की है, जो यह प्रकट करती है कि प्रार्थी किसान है एवं खेत पर नील गाय, पेंथर अन्य जंगली जानवन शेर, चिता आदि से आत्मरक्षा के लिए उक्त हथियार की प्रार्थी को आवश्यकता है, जिसका प्रार्थी के पिता शंकरलाल ने भी अपने जीवनकाल में कोई दुरूपयोग नही किया, न ही अपीलान्ट का चरित्र कोई आपराधिक प्रवृति का हो, अथवा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज होकर उसे किसी सक्षम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो अथवा चरित्र के दुराचरण प्रकट होता हो, ऐसा कोई दस्तावेज अथवा ऐसी कोई रिपोर्ट संबंधित विभागो से प्राप्त नही हुई है। जिससे यह प्रकट होंता हो कि उक्त हथियार लाईसेंस को नवीनीकरण करना उचित नही प्रकट होता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इरादतन प्राप्त रिपोर्टों के विपरित जाकर जो टिप्पणी में आदेश किया है वह अपास्त योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई फोजदारी प्रकरण न तो दर्ज है, न ही किसी सक्षम न्यायालय से सजायाप्ता है। अपीलान्ट शांतिप्रिय व्यक्ति है, उसके पिता भी शांतिप्रिय थे, अपीलान्ट ने आत्मरक्षा के लिए उक्त हथियार को विरासत से अपने नाम पर दर्ज कराना उचित समझते हुए आवेदन किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की मंशा के विपरित जाकर जो आदेश पारित किया है. वह अपास्त योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 01.02.2024 द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेट पीठासीन अधिकारी रक्षा पारीक द्वारा बन्दुक लाईसेंस संख्या 2/10 (एक नाल देशी टोपीदार) लाईसेंस धारक शंकरलाल पिता उदयराम सरगडा निवासी आमेट के आदेश को अपास्त कर खारीज किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि अपीलान्ट के नाम पर बन्दुक लाईसेंस संख्या 2/10 (एक नाल देशी टोपीदार) लाईसेंस धारक शंकरलाल पिता उदयराम सरगडा निवासी आमेट से विरासत से अपीलान्ट के नाम पर अन्तरण कर दर्ज कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से रामलाल जाट ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

बहस हेतु नियत पेशी दिनांक को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता शंकरलाल पिता उदयराम जी जाति सरगडा निवासी आमेट के नाम पर बन्दुक लाईसेंस संख्या 2/10 (एक नाल देशी टोपीदार) थी प्रार्थी के पिता शंकरलाल जी की मृत्यु दिनांक 07.10.2021 को हो गई. उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट ने उक्त लाईसेंस को अपने नाम पर विरासत से दर्ज कराने हेतु आवेदन दिनांक 26.04.2023 को प्रस्तुत किया, जिसके संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उप पुलिस अधीक्षक महोदय कुम्भलगढ मुकाम गोमती, तहसीलदार साहब आमेट, उप वन सरंक्षक, वन्य जीव राजसमंद व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सी. आई.डी. राजस्थान जयपुर को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया, उपरोक्त चारों विभागो द्वारा आवेदक के विरासत से टोपीदार लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा करने के आधार पर आर्म्स रूल्स 2016 नियमों के परिपेक्ष्य में लाईसेंस जारी किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा अपने पिता की मृत्यु दिनांक 07.10.2021 को होने के पश्चात् विरासत मे हथियार नम्बर 2/10 आर्म्स को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु विधि सम्यक प्रक्रिया अपना कर सभी दस्तावेज पेश कर आवेदन प्रस्तुत किया था, एवं आवेदन के बाद विधि अनुरूप सभी विभागो से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार हथियार विरासत से अपीलान्ट के नाम पर दर्ज होना उचित प्रतीत होने के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह अपास्त योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है। साथ ही मृतक शंकरलाल के सभी वारिसानो ने मिलकर अपीलान्ट के नाम पर सहमति पत्र भी दिया है, उसके बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र आलोच्य आदेश की पत्रावली पर कृषि कार्य संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का कारण बताते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है, जब कि पत्रावली मे आवेदन के साथ अपीलान्ट ने वर्तमान जमाबंदी पेश की है, जो यह प्रकट करती है कि प्रार्थी किसान है एवं खेत पर नील गाय, पेंथर अन्य जंगली जानवन शेर, चिता आदि से आत्मरक्षा के लिए उक्त हथियार की प्रार्थी को आवश्यकता है, जिसका प्रार्थी के पिता शंकरलाल ने भी अपने जीवनकाल में कोई दुरूपयोग नही किया, न ही अपीलान्ट का चरित्र कोई आपराधिक प्रवृति का हो, अथवा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज होकर उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो अथवा चरित्र के दुराचरण प्रकट होता हो, ऐसा कोई दस्तावेज अथवा ऐसी कोई रिपोर्ट संबंधित विभागो से प्राप्त नही हुई है। जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त हथियार लाईसेंस का स्थानान्तरण करना उचित नही प्रकट होता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इरादतन प्राप्त रिपोर्टो के विपरित जाकर जो टिप्पणी में आदेश किया है वह अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि अपीलान्ट के नाम पर बन्दुक लाईसेंस संख्या 2/10 (एक नाल देशी टोपीदार) लाईसेंस धारक शंकरलाल पिता उदयराम सरगडा निवासी आमेट से विरासत से अपीलान्ट के नाम पर अन्तरण करने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी का लाईसेंस के लिए पर्याप्त कारण नहीं होने तथा उक्त अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी श्री धीरज कुमार पिता शंकरलाल ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट के समक्ष शंकरलाल जी मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट ने उक्त लाईसेंस को अपने नाम पर विरासत से दर्ज कराने हेतु दिनांक 26.04.2023 को आवेदन मय मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, अन्य वारिसान व स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उप पुलिस अधीक्षक महोदय कुम्भलगढ मुकाम गोमती, तहसीलदार आमेट, उप वन सरंक्षक, वन्य जीव राजसमंद व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. राजस्थान जयपुर से नियमानुसार जांच रिपार्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार आमेट ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह वर्णित किया कि आवेदक की आर्थिक स्थिति, आचरण व उद्देश्य उचित है तथा आवेदक आरक्षित वन क्षेत्र की 10 कि.मी. परिधि का निवासी है एवं अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित है। उप वन संरक्षक वन विभाग राजसमंद की रिपोर्ट के अनुसार कोई आपत्ति नही होना वर्णित किया है, पुलिस उपाधीक्षक, वृत कुम्भलगढ मुकाम गोमती की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को लाईसेंस देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना वर्णित किया है। तथा राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर के अनुसार आवेदक का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नही होना वर्णित किया गया है। इसके उपरान्त भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया कि "प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज संलंग्न नहीं किया है, जिससे उसे बन्दूक की कृषि कार्य मे आवश्यकता है, ऐसा सिद्ध हो। अतः लाईसेंस जारी नही किया जाना उचित है।"

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट ने अपने पिता शंकरलाल जी की मृत्यु उपरान्त उक्त लाईसेंस को अपने नाम पर विरासत से दर्ज कराने हेतु दिनांक 26.04.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया, एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उप पुलिस अधीक्षक महोदय कुम्भलगढ मुकाम गोमती, तहसीलदार आमेट, उप वन सरंक्षक, वन्य जीव राजसमंद व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सी.आई.डी. राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्राप्त की। जिसके अनुसार लाईसेंस देने के संबंध में कोई आपति नहीं होना वर्णित किया गया। आयुध नियम 2016 के नियम 25 (1) (क) में यह प्रावधान है कि " **अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के पश्चात, उसके विधिक उत्तराधिकारियों की अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।"**

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट की पत्रावली के अनुसार सभी विभागों से लाईसेंस देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर हुआ है। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रकरण को आयुध नियम 2016 के नियम 25 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निर्णित किया जाना चाहिए था। परन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट द्वारा प्रकरण के निस्तारण में न ही इस नियम की व्याख्या नहीं की गयी और न ही इसके अनुसार आदेश पारित किया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में आयुध नियम 2016 के नियम 25 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करे एवं यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्म्स लाईसेंस देना उचित प्रतीत नहीं होता है तो इस संबंध में स्पीकींग(आख्यात्मक) आदेश पारित करे। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेट को लौटायी जावे।

**(अरूण कुमार हसीजा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**( अरूण कुमार हसीजा )**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)